उपायुक्त/जिलाधीश कार्यालय, जीन्द।
Deputy Commissioner/District Magistrate Office, Jind

भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश

उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जीन्द के पत्र क्रमांक 2971 दिनांक 08.04.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि रबी सीज़न के तहत गेंहू फसल की कटाई शुरु हो चुकी है तथा किसानों द्वारा कटाई उपरांत कुछ बचे हुए भूसे/अवशषों में आग लगा दी जाती है, जिससे उत्पन्न हुए धुंए से आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा पशुओं के चारे की कमी होने की भी संभावना बनी रहती है। फसल कटाई के बाद बचे अवशषों को जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है तथा मित्र कीटों की हानि होती है, जिससे फसल पैदावार पर असर पड़ता है। रबी सीजन के दौरान गेंहू के भूसे में आगजनी करने से कई बार आग भंयकर रुप से फैल जाती है तथा आस-पड़ोस में खड़ी पक्की फसलों के जलने का भी खतरा रहता है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा फसल अवशेषों जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने बारे निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा भी समय-समय पर माननीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की सख्ती से पालना हेतू निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं **मो० इमरान रज़ा, भा०प्र०से०, जिलाधीश,** जीन्द दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में गेंहू व अन्य प्रकार की फसलों की कटाई के बाद बचे अवशेषों के जलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने के आदेश पारित करता हूँ।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी व वर्तमान परिस्थितियों (जनहित के स्वास्थ्य कारणों) के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किये बिना एकपक्षीय पारित करता हूँ तथा यह आदेश जन सामान्य को सूचनार्थ एवं पालनार्थ सम्बोधित है।

इस आदेश की जिला जीन्द में ढोल बजाकर, जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द द्वारा विस्तृत मुनादी करवाई जायेगी तथा इसका कचहरी, उपमण्डल, तहसील कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार-प्रसार किया जावे।

पुलिस अधीक्षक, जीन्द को लिखा जाता है कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भा०द०स० की धारा 188 के साथ-साथ बचाव एवं प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरण शुल्क भी वसूल किया जाएगा।

यह आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।

जिलाधीश, जीन्द।

पृ० क्रमांक 3053-75 /एम०ए० दिनांक 10-04-2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग हरियाणा, चण्डीगढ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ।
4. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ।
6. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।
7. महानिरीक्षक पुलिस, हिसार रेंज, हिसार।
8. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जीन्द।

9. निदेशक, प्रदूषण नियन्त्रक विभाग हरियाणा, पंचकुला।
10. राज्य के सभी जिलाधीश।
11. पुलिस अधीक्षक, जीन्द।
12. अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
13. उपमण्डल अधिकारी (ना0), जीन्द/नरवाना/सफीदों/उचाना अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
14. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।
15. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
16. उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जीन्द।
17. क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जीन्द।
18. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
19. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
20. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद/पालिका, जीन्द, नरवाना, सफीदों, जुलाना, उचाना।
21. उप-निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द।
22. सभी कार्यालयाध्यक्ष जिला जीन्द।
23. निजी सहायक समीप उपायुक्त/स्टैनों नगराधीश, जीन्द।

जिलाधीश, जीन्द।